भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 3346
गुरुवार 12 मार्च, 2026/21 फाल्गुन, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

जवाहरलाल दरडा विमानपत्तन से उड़ानें

3346. श्री संजय उत्तमराव देशमुख:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में स्थित जवाहरलाल दरडा विमानपत्तन का कई वर्षों से सीमित उपयोग हो रहा है और वहां से कोई नियमित नागरिक उड़ानें संचालित नहीं हो रही है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
(ख) क्या उक्त विमानपत्तन को 2009 में रिलायंस एयरपोर्ट डेवलपर्स लिमिटेड को पचानवे वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर दिया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार विमानपत्तन को पूर्ण संचालन के लिए महाराष्ट्र इन्डस्ट्रीअल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एमआईडीसी) या महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एमएडीसी) के अधीन वापस लाने के लिए कोई कदम उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार की विदर्भ और मराठवाड़ा के नागरिकों के लाभ के लिए यवतमाल विमानपत्तन से शीघ्रातिशीघ्र नागरिक उड़ानें आरंभ करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ग): यवतमाल हवाईअड्डे पर कोई नियमित नागरिक उड़ानें नहीं हैं। वर्तमान में, इस हवाईअड्डे का उपयोग एनएसओपी वीएफआर परिचालनों के लिए किया जाता है। इस हवाईअड्डे को वर्ष 2009 में रिलायंस एयरपोर्ट डेवलपर्स लिमिटेड को पट्टे पर दिया गया था और वर्ष 2025 में यह पट्टा समाप्त कर दिया गया था। महाराष्ट्र सरकार ने इन हवाईअड्डों को भावी विकास और अनुरक्षण के लिए महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी को हस्तांतरित कर दिया है।

(घ): यवतमाल हवाईपट्टी, महाराष्ट्र 'उड़ान' दस्तावेज़ में असेवित हवाईअड्डों की अस्थायी सूची में उपलब्ध है। यवतमाल हवाईपट्टी से आरसीएस उड़ानों के परिचालन के लिए किसी भी एयरलाइन बोलीदाता ने आज तक कोइ प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए हैं। यदि कोई एयरलाइन बोली प्रक्रिया के भावी चरणों में यवतमाल हवाईपट्टी को जोड़ने वाली आरसीएस उड़ानों के परिचालन के लिए वैध प्रस्ताव प्रस्तुत करती है, तो उस पर 'उड़ान' योजना के प्रावधानों के अनुसार विचार किया जा सकता है।

******